

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/आर०-93/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक :

डा० विशाल कुमार राणा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, बिहार, पटना के दिनांक-01.12.2022 से 28.12.2025 तक प्रभार रहित अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :-

(i)	दिनांक-01.12.2022 से 01.12.2025 तक (कुल-1097 दिन)	-	अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में। (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2), दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)
(ii)	दिनांक-02.12.2025 से 26.12.2025 तक (कुल-25 दिन)	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा (मुख्यालय) अवधि के रूप में।
(iii)	दिनांक-27.12.2025 से 28.12.2025 तक (कुल-02 दिन)	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में)

2. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/आर०-93/2026- 1528/3 स्वा०, पटना, दिनांक : 9/12/26

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रशासी पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० विशाल कुमार राणा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Waman K 8/12/26
सरकार के उप सचिव।